

आदेश:-

उ०प्र० सरकार के कार्मिक अनुभाग-1 से जारी अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या-13(10)2004/का-1-2012 दिनांक-07.12.2012 से निर्गत उ०प्र० सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियामावली, 2012 के नियमों के अन्तर्गत तथा उ०प्र० बिक्री कर सांख्यिकीय सेवा नियामावली 1991 के नियम 17(1) के उपबंधों के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक सांख्यिकीय अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पदों पर वेतन बैण्ड-2(9300-34800 के सादृश्य ग्रेड वेतन 4600/-) पर पदोन्नत करते हुए अग्रिम आदेशों तक उनके पूर्व कार्य स्थल पर तैनात किया जाता है।

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	पूर्व पद / कार्यस्थल	पदोन्नति के उपरान्त वर्तमान पद / कार्यस्थल
1	2	3	4	5	6
1	160	श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव	31.05.1982	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर, लखनऊ	अपर सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर, लखनऊ

- 1- सम्बन्धित जोनल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत किये गये अधिकारी को पदोन्नति के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 2- सम्बन्धित जोनल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत किये गये अधिकारी, यदि किन्ही कारणों से कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो तो इस सम्बन्ध में अपना लिखित अनुरोध पत्र जोनल अपर आयुक्त के माध्यम से प्रत्येक दशा में 30.10.2024 तक मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ जोनल अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि यदि उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है अथवा प्रस्तावित है/सतर्कता जांच/ई०ओ०डब्लू जांच आदि चल रही हो/वर्ष 2024-25 में प्रतिकूल प्रविष्टि आदि प्रदान की गई हो अथवा सत्यनिष्ठा संदिग्ध की गई हो/वर्ष 2024-25 में दण्डादेश निर्गत किया गया हो तो ऐसे अधिकार पर यह पदोन्नति आदेश लागू नहीं होगा और सम्बन्धित अधिकारी पर यह आदेश कियान्वित न कराया जाय, अपितु इसकी सूचना अ०शा० पत्र के माध्यम से तत्काल मुख्यालय उपलब्ध करायी जाये।
- 4- वर्तमान समय में यदि उक्त अधिकारी स्तम्भ-05 में दर्शित कार्यालय/ स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यालय/स्थान पर कार्यरत हो तो उसकी वर्तमान तैनाती स्थान तदनुसार संशोधित माना जाये तथा सम्बन्धित सम्भागीय अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारी को उक्त आदेश की प्रति तुरन्त तामील कराना सुनिश्चित करें।
- 5- सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर अपने जोन के अन्तर्गत पदोन्नत किये गये उक्त अधिकारी के कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक-30.10.2024 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह/-

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव  
As  
21/10/24

DC(I-T)  
12/10/24 2763

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2 सम्बन्धित अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, उ0प्र0।
- 3 संयुक्त निदेशक(संख्या) राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4 सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5 सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6 संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय को वेब-साइट पर डालने हेतु।
- 7 सम्बन्धित अधिकारी को नाम से।
- 8 सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(श्याम प्रसाद)

संयुक्त आयुक्त(स्थापना), राज्य कर  
मुख्यालय, लखनऊ।

श्याम प्रसाद